न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3537–तीन/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 18–9–15– पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम – प्रकरण कमांक 13/2014–15 अपील

1– श्रीमती धापूवाई पुत्री स्व. बद्रीलाल
पत्नि अमृतलाल निवासी खाचरौद
हाल मुकाम बड़ोदिया जिला रतलाम
2– श्रीमती इंदिरा पत्नि स्व. दिनेश निवासी
बड़ोदिया तहसील व जिला रतलाम
3– अनिल पुत्र स्व. दिनेश नावालिक
सरपरस्त माता इंदिरावाई पत्नि दिनेश
ग्राम कंचनखेड़ी तहसील खाचरोद
जिला उज्जैन ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– रमेश पुत्र नागुड़ा जाति बागरी
ग्राम बड़ोनिया तहसील रतलाम
2– श्रीमती तेजावाई पुत्री नागुड़ा पत्नि
शंकरलाल बागरी ग्राम हतनारा
तहसील टप्पा नामली जिला रतलाम --- अनावेदकगण

(श्री अखलाख कुरेशी अभिभाषक – आवेदक)

आ दे श

(दिनांक 28 दिसम्बर, 2015)

अनुविभागीय अधिकारी रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 13/14–15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–9–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने नायव तहसीलदार रतलाम व्दारा प्रकरण कमांक 29 अ-27/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 24-3-2006 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रतलाम के समक्ष 9 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की तथा अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन दिया । अनुविभागीय अधिकारी रतलाम ने उभय पक्ष को सुनकर प्रकरण कमांक 13/14-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18-9-15 से 9 वर्ष का विलम्ब क्षमा कर अपील को गुणदोष पर सुनवाई हेतु ग्राह्य कर लिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी रतलाम ने 9 वर्ष के विलम्ब को क्षमा करने में भूल की है क्योंकि अनावेदकगण अपने हिस्से की भूमि विकय कर चुके हैं अनावेदकगण का आवेदकगण की भूमि में कोई स्वत्व व हित नहीं रहा है परन्तु भूमि की कीमत बड़ जाने से वह अपना हिस्सा बताकर 9 वर्ष वाद गलत आधारों पर अपील कर रहे हैं इसलिये अपील समय वाह्य है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी रतलाम के प्रकरण कमांक 13/14-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18-9-15 को निरस्त करने की मांग रखी है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक अपील मेमो में एंव तर्को में बता रहे हैं कि अनावेदकगण अपने हिस्से की भूमि विकय कर चुके हैं अनावेदकगण का आवेदकगण की भूमि से कोई स्वत्व व हित नहीं

रहा है परन्तु भूमि की कीमत बढ़ जाने से वह अपना हिस्सा बताकर 9 वर्ष वाद गलत आधारों पर अपील कर रहे है , जबकि अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बताया है कि भूमि के खसरे में से उनका कम कर दिया गया है और यह तथ्य तभी स्पष्ट हो सकेगा, जब अभिलेख की जॉच की जांय एंव उभय पक्ष को पूर्णरूप से सुन लिया जाय। और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा कर अपील को जांच एंव सुनवाई हेतु ग्राह्य किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। वैसे भी आवेदकगण एंव अनावेदकगण को अपना-अपना पक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 18-9-15 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी रतलाम द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/2014-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18-9-2015 उचित पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर